23/9/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित है।
प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई बहस के
दौरान निवेदन किया कि मूल वाद में प्रावधिक
डिक्री जारी की गई है। मूल वाद के निस्तारण
तक रेकार्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखी
जाने व अन्य किसी को रहन बय बक्शीस
नहीं करने का निवेदन किया बहस पर
मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया
गया मूल प्रकरण में आज प्रावधिक डिक्री
जारी की गई। दिनांक 8/5/2024 को रेकार्ड
एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने
व अन्य किसी को बय बक्शीस नहीं
करने का अन्तरिम स्थगन जारी किया गया

उक्त आदेश और मूल वाद के निराकरण तक क्रियान्वयन किया जाता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निराकरण तक ग्राम किशोर पुरा के पटवार मण्डल [illegible] खाता नं. 38 में कुल किता 25 रकबा 4.29 हे. भूमि पर खुदाई एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। उभय पक्ष एक दूसरे के कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करें।

पक्षपत्री पुलिस सूचना होवे नस्ती पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर